अनुसूचित जाति (जिला योजना)
संख्या: 759 /I(2)/2011-06(1)/104/08

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी (उधमसिंहनगर को छोड़कर),
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुभाग–2, **देहरादूनः दिनांकः 28 अप्रैल, 2011**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युतीकरण कार्यो (अनुसूचित जाति अंश) हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008, दिनांक 24.03.2008 एवं वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को जिला योजनान्तर्गत (अनुसूचित जाति अंश) अनुमोदित कार्यो हेतु ऋण के रुप में ₹ 04,46,49,000.00 (₹ चार करोड़ छियालिस लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि संलग्नक–1 में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि से जनपदों में वे ही कार्य सम्पादित कराये जायेंगे जो चालू योजना के हों एवं जनपद की जिला सैक्टर की योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा चयनित एवं अनुमोदित हो। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय सीमा के अधीन ही किया जायेगा। व्यय जनपदवार अनुमोदित प्लान परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा तथा उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 24.03.2008 तथा दिनांक 31.03.2011 से जारी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2– कार्य प्रारम्भ करने से पहले कार्यो का विस्तृत आगणन, कार्यो का विस्तृत विवरण, समयबद्ध समय सारिणी, लागत, लाभान्वित होने वाले क्षेत्र का विस्तृत विवरण शासन को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने पर उक्त बिन्दुओं पर वास्तविक विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय एवं कार्यो का कियान्वयन परियोजना मोड में यथोचित बारचार्ट/पर्ट चार्ट आदि पूर्व में निश्चित कर किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो की जानकारी क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी, आयुक्त, संबंधित ग्राम प्रधानों को कार्य कराने से पूर्व व बाद में उपलब्ध कराया जायेगा तथा यथोचित माध्यम से प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

4– उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार कर नियमानुसार धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल उक्त कार्यो एवं उद्देश्य हेतु ही व्यय की जायेगी।

5– व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा। उपकरणों आदि का कय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली तथा टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

6– कार्यो पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– स्वीकृत कार्यो की कम्प्यूटरीकृत सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

8– आवश्यक सामग्री का कय सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जॉच के उपरान्त ही किया जायेगा एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

9– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नाबार्ड द्वारा ऋण रु0 6.5% की दर निर्धारित है। अतः उक्त धनराशि ऋण पर भी ब्याज की दर 6.5% निर्धारित की जाती है तथा विलम्ब की दशा में 1.0% अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा। मूलधन की वापसी 10 समान किश्तों में प्रतिवर्ष माह अप्रैल में (ब्याज सहित) की जायेगी तथा प्रथम किश्त की वापसी अप्रैल, 2012 से प्रारम्भ होगी।

10– प्रत्येक ऋण आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

11– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 जब भी किश्तों का भुगतान करें ब्याज भी अवश्य जमा करें एवं महालेखाकार कार्यालय को सूचना निम्न प्रारुप पर भेजें:–

1– कोषागार का नाम, 2– चालान सं0, 3– जमा धनराशि, किश्त, ब्याज, 4– शासनादेश संख्या और एस0एल0आर0 का संदर्भ, 5– लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा की धनराशि ब्याज।

....2

12- ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा आहरण के प्रत्येक वर्ष पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखे से अवश्य करें तथा शासन को मिलान की सूचना उपलब्ध कराई जाय तथा किश्तों के भुगतान का मिलान शासन से भी करा लें।

13- भविष्य में ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा जब यह सुनिश्चित हो जाय कि ऋणी संस्था इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करा लिया है ताकि अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और ऋण संस्था महालेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दे।

14- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 30.03.2012 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा। योजना का मासिक रुप से व्यय विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा।

15- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु व्यय की जायेगी। जिला योजना में सामान्य अंश एवं अनुसूचित जनजाति अंश के सापेक्ष धनराशि अलग से निर्गत की जा रही है।

16- अवमुक्त की जा रही धनराशि का जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव में निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के लक्ष्य अनुसार व्यय किया जायेगा।

17- स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्ययक के अनुदान सं0 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपकमों और अन्य उपकमों में निवेश-91-जिला योजना-00-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0 209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सहमति के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

पत्र संख्या: 757/I(2)/2011-06(1)/104/08, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2- निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7- समस्त जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति, उत्तराखण्ड (उधमसिंहनगर को छोड़कर)।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (उधमसिंहनगर को छोड़कर)।
9- समस्त अधिशासी अभियन्ता (जिला स्तरीय अधिकारी), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून (उधमसिंहनगर को छोड़कर)।
10- वित्त अनुभाग-2/बजट निदेशालय।
11- समाज कल्याण/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13- विशेष सैल, ऊर्जा।
14- गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

शासनादेश संख्या 751/I(2)/2011-06(1)/104/08 दिनॉक 28 अप्रैल 2011 का संलग्नक-1

अनुदान संख्या -30 के लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिंए कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश -91- जिला योजना - 00-30-निवेश/ऋण

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु जिला योजना में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
1	नैनीताल	30.00
2	अल्मोड़ा	36.16
3	पिथौरागढ़	30.50
4	बागेश्वर	16.20
5	चम्पावत	30.90
6	देहरादून	73.18
7	पौड़ी	49.25
8	टिहरी	53.19
9	चमोली	25.51
10	उत्तरकाशी	18.00
11	रूद्रप्रयाग	47.60
12	हरिद्वार	36.00
	योग :-	**446.49**

(रूपये चार करोड़ छियालीस लाख उन्चास हजार मात्र)

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव

D:\New Folder\budget avantan doc